पत्रांक– 577 /E- 74498

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आवास अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक : 12 सितम्बर, 2025

विषय : उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत आमजन की सुविधा हेतु Pre-Approved Design Map की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–75/UHADA/546/2020–21 दिनांक 08.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत आमजन की सुविधा हेतु Pre-Approved Design Map तैयार कर eASE App esa upload किये गये हैं, जिसके माध्यम से ऐसे आवेदक जो मानचित्रकारों/वास्तुविदों के माध्यम से भवन मानचित्र बनाये जाने का शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं अथवा जहाँ वास्तुविदों की उपस्थिति नहीं हैं, की सुविधा हेतु मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून के माध्यम से तैयार 815 Pre-Approved Map तैयार कर eASE App में upload किये गये हैं। उक्त Pre-Approved Map को व्यक्तिगत रूप से जमा किये जाने तथा स्वीकृत किये जाने के लिए प्राधिकरणों हेतु SOP तैयार कर उक्त को शासन से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव महायोजनान्तर्गत सम्बन्धित भू–उपयोग की अनुमन्यता है, का परीक्षण कर लिया जायेगा।

2) भवन निर्माण कार्य सम्बन्धित वास्तुविद/मानचित्रकार के पर्यवेक्षण में पूर्ण कराना होगा।

3) Pre-Approved Design Map के अनुसार भवन निर्माण कार्य की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी और इस हेतु आवेदक को अपने भवन का निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर/वास्तुविद/मानचित्रकार के पर्यवेक्षण में पूर्ण कराना होगा तथा सम्बन्धित की सूचना भी प्राधिकरण में देनी होगी।

4) संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त Pre-Approved Design Map की वेबसाईट को अपणु सरकार पोर्टल से भी जोड़ लिया जायेगा।

5) आवेदक द्वारा Structural Safety हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुसार Self Certification स्वयं तथा किसी भी उपलब्ध वास्तुविद/स्ट्रक्चरल इंजीनियर के माध्यम से हस्ताक्षरित कराये जाने के उपरान्त अपलोड किया जायेगा।

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव

Scanned with OKEN Scanner

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) उपाध्यक्ष–मसूरी–देहरादून/हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण तथा उपाध्यक्ष– समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण।

(2) वरिष्ठ नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner